रजि ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10102026-277016
CG-MH-E-10102026-277016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948
No. 606] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अक्तूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन2026//320.– बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए म्नि लिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में –

   I. अनुसूची में, सारणी में,

      i. पंक्ति 6 में, कॉलम 3 में –

क. शब्दों तथा चिह्नों "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा* (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) / विधि में स्नातक की उपाधि / इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या चार्टर्ड अकाउंटेंट / चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट / कंपनी सेक्रेटरी / कॉस्ट अकाउंटेंट ।* [जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त मास्टर की उपाधि (संबंधित विषय में) के समतुल्य हो] ।" के स्थान पर ये शब्द, चिह्न तथा अंक आ जाएँगे - "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में कम से कम 60% अंकों (यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार के लिए पद आरक्षित हों, तो उनके मामले में कम से कम 50% अंकों) के साथ स्नातक, जो कक्षा-XII के बाद किया हो और जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्षों की हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो), जो स्नातक के बाद हासिल की गई हो (किया गया हो); या संबंधित संस्थानों से मान्यताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट / चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट / कंपनी सेक्रेटरी / कॉस्ट अकाउंटेंट ।

टिप्पणी-I - उम्मीदवार के पास भारत के केंद्रीय या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत गठित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम के तहत गठित दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं में से किसी शैक्षणिक संस्था से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 [यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956] की धारा 3 के तहत 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' के रूप में घोषित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय से हासिल की गई उपाधि (डिग्री) होनी चाहिए ।

टिप्पणी-II - कुछ विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड यह नहीं दर्शाते कि उम्मीदवार किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है या उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, बल्कि वे तो कुल मिलाकर ग्रेड प्वाइंट (अर्थात् सीजीपीए / ओजीपीए / सीपीआई, आदि) दे देते हैं । यदि विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड ने यह बताया हुआ हो कि कुल मिलाकर दिए गए ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत अंकों के रूप में किस प्रकार बदला जाए, तो फिर इस संबंध में वही तरीका अपनाया जाएगा । हालाँकि, जहाँ विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड ने डिग्री में / उत्तीर्ण होने पर दिए गए प्रमाणपत्रों में यह न बताया हुआ हो कि कुल मिलाकर दिए गए ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत अंकों के रूप में किस प्रकार बदला जाए, तो फिर इस संबंध में निम्नानुसार तरीका अपनाया जाएगा:

10-प्वाइंट वाले स्केल पर सीजीपीए / ओजीपीए / सीपीआई या ऐसा ही कोई दूसरा ग्रेड आदि	कुल प्रतिशत अंक
6.75	60%
5.75	50%

टिप्पणी-III – जहाँ कहीं भी कुल मिलाकर ग्रेड प्वाइंट या प्रतिशत अंक दिए गए हों, वहाँ यह देखा जाएगा कि पूरे पाठ्यक्रम (कोर्स) के दौरान कुल मिलाकर कितने ग्रेड प्वाइंट या कितने प्रतिशत अंक मिले हैं ।

टिप्पणी-IV - जहाँ कुल मिलाकर दिए गए ग्रेड प्वाइंट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) 10-प्वाइंट वाले स्केल के आधार पर न देकर किसी दूसरे नंबर वाले स्केल पर दिए गए हों, वहाँ उन्हें पहले 10-प्वाइंट वाले स्केल के आधार पर निकाला (नॉर्मलाइज़ किया) जाएगा और फिर ऊपर

टिप्पणी-II के अनुसार उनकी गणना की जाएगी ।

टिप्पणी-V : ऊपर जो-जो जिक्र किया गया है उसके बावजूद, यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी दूसरे देश के विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता हो, और यदि यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा वर्ष 2025 में समतुल्यता (इक्विवैलेंसी) प्रदान करने के संबंध में जारी किए गए विनियमों (रेग्यूलेशन) के लागू होने से पहले भारतीय विश्वविद्यालय संघ (असोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़) द्वारा समतुल्यता का ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, या फिर यू.जी.सी. द्वारा समतुल्यता का ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि दूसरे देश के उस विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता भारत में मास्टर डिग्री के समान है, तो उस उम्मीदवार के बारे में यही माना जाएगा कि उसके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता है ।"

ख. शब्द, चिह्न, अक्षर तथा अंक "विधिक धारा के ग्रेड 'ए' के अधिकारियों के लिए – विधिक धारा हेतु निर्धारित की गई योग्यता के अलावा, जिसके पास योग्यता हासिल करने के पश्चात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के तहत नाम दर्ज करवाने के बाद एक अधिवक्ता (जिसमें किसी अधिवक्ता के या सॉलिसिटर के कार्यालय में या लॉ फर्म में एक सहयोगी के तौर पर कार्य करना भी शामिल है) के तौर पर दो वर्षों का अनुभव होगा, उसे वरीयता दी जाएगी।" हट जाएँगे ।

ग. शब्दों तथा चिह्नों "अर्थशास्त्र / वाणिज्य (कॉमर्स) / व्यवसाय प्रबंधन (बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन) / अर्थमिति (इकोनोमैट्रिक्स) / क्वॉन्टिटेटिव इकनॉमिक्स / वित्तीय अर्थशास्त्र / गणितीय अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र / कृषि अर्थशास्त्र / औद्योगिक अर्थशास्त्र / बिजनस एनालिटिक्स में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा* (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो); या वित्त / क्वॉन्टिटेटिव फाइनेंस / गणितीय वित्त / क्वॉन्टिटेटिव टेक्नीक्स / अंतरराष्ट्रीय वित्त / व्यवसाय वित्त (बिजनस फाइनेंस) / अंतरराष्ट्रीय और व्यापार वित्त / प्रोजेक्ट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस / कृषि व्यवसाय वित्त में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा* (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो); या सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / सांख्यिकी एवं इन्फॉर्मेटिक्स / अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एवं इन्फॉर्मेटिक्स / डाटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग / बिग डाटा एनालिटिक्स में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा* (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो); या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से गणित में मास्टर की उपाधि और सांख्यिकी या संबंधित विषयों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा । *[जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त मास्टर की उपाधि (संबंधित विषय में) के समतुल्य हो] ।" के स्थान पर ये शब्द, चिह्न तथा अंक आ जाएँगे - "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित मुख्य विषयों (स्ट्रीम-शाखा) या विशेषज्ञताओं में से किसी एक में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो): अर्थशास्त्र (इकनॉमिक्स) / वाणिज्य (कॉमर्स) / व्यवसाय प्रबंधन (बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन) / अर्थमिति (इकोनोमैट्रिक्स) / क्वॉन्टिटेटिव इकनॉमिक्स / वित्तीय अर्थशास्त्र (फाइनेंशियल इकनॉमिक्स) / व्यावसायिक अर्थशास्त्र (बिजनस इकनॉमिक्स) / गणितीय अर्थशास्त्र (मैथमेटिकल इकनॉमिक्स), कृषि अर्थशास्त्र (एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स) / औद्योगिक अर्थशास्त्र (इंडस्ट्रियल इकनॉमिक्स), पब्लिक पॉलिसी / बिजनस एनालिटिक्स, सिक्यूरिटीज़ मार्केट / कैपिटल मार्केट्स; या वित्त (फाइनेंस), जिनमें शामिल हैं - संबंधित संस्थानों से मान्यताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट / चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट / कंपनी सेक्रेटरी / कॉस्ट अकाउंटेंट या क्वॉन्टिटेटिव फाइनेंस / गणितीय वित्त (मैथमेटिकल फाइनेंस) / क्वॉन्टिटेटिव टेक्नीक्स / अंतरराष्ट्रीय वित्त (इंटरनेशनल फाइनेंस) / व्यवसाय वित्त (बिजनस फाइनेंस) / अंतरराष्ट्रीय और व्यापार वित्त (इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस) / प्रोजेक्ट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस / कृषि व्यवसाय वित्त (एग्री बिजनेस फाइनेंस); या सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) / गणितीय सांख्यिकी (मैथमेटिकल स्टैटेटिक्स) / अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स / डाटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग / बिग डाटा एनालिटिक्स; या गणित में मास्टर डिग्री (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) और उसके

साथ सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष की हो) ।

टिप्पणी : ऊपर जो-जो जिक्र किया गया हैं उसके बावजूद, यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी दूसरे देश के विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता हो, और यदि यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा वर्ष 2025 में समतुल्यता (इक्विवैलेंसी) प्रदान करने के संबंध में जारी किए गए विनियमों (रेग्यूलेशन) के लागू होने से पहले भारतीय विश्वविद्यालय संघ (असोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़) द्वारा समतुल्यता का ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, या फिर यू.जी.सी. द्वारा समतुल्यता का ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि दूसरे देश के उस विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता भारत में मास्टर डिग्री के समान है, तो उस उम्मीदवार के बारे में यही माना जाएगा कि उसके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता है ।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./375/2026-27]

टिप्पणी :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 [का.आ. सं. 857(अ)] 6 सितम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 11 जुलाई, 2026 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2026 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/311) द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/320.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001—

   II. In the Schedule, in the Table,

      i. In row 6, in column 3-

      a. the words and symbols "Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years' duration) in any discipline/ Bachelor's Degree in Law/ Bachelor's Degree in Engineering from a recognized University/Institute or Chartered Accountant/ Chartered Financial Analyst/ Company Secretary/ Cost Accountant.*(Equivalent to a Master's Degree in that discipline as recognized by the Association of Indian Universities)." shall be substituted with the words, numbers and symbols "Graduation in any discipline with minimum 60% marks (50% marks for SC/ST/PwBD candidate, if

the posts are reserved for them) from a recognized University / Institute that is taken after Class XII and is at least of 3 years' duration; or Master's Degree/ Post Graduate Diploma (minimum two years' duration) in any discipline from a recognized University / Institute that is taken after Graduation; or Chartered Accountant/ Chartered Financial Analyst/ Company Secretary/ Cost Accountant as recognized from the respective Institutes.

Note I - The candidate shall hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be Deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

Note II - Some Universities/Institutes/Boards do not award Class or percentage of marks and allot Aggregate Grade Points (e.g., CGPA/OGPA/CPI, etc.). In case University/Institute/Board defines criteria for conversion of Aggregate Grade Point into percentage of marks, the same shall be accepted. However, where the University/Institute/ Board does not define criteria for conversion of Aggregate Grade Point into percentage of marks, in the degree/passing certificates, the undefined parameter(s) shall be worked out as under:

Equivalent CGPA/OGPA/CPI or similar terminologies allotted on a 10-point scale	Aggregate Percentage of Marks
6.75	60%
5.75	50%

Note III - Aggregate Grade Point or percentage of marks wherever awarded shall mean aggregate over the entire duration of the course.

Note IV - Where the Aggregate Grade Point (CGPA/OGPA/CPI, etc.) is awarded out of a number other than 10, it shall be normalized out of 10 and computed as per Note II above.

Note V: Notwithstanding the criteria mentioned above, in case a candidate possesses a Master's Degree or Post Graduate qualification from a foreign University or Institution and an Equivalence Certificate is issued by the Association of Indian Universities prior to the commencement of the UGC Equivalence Regulations, 2025, or by the University Grants Commission indicating that the Master's Degree or Post Graduate qualification from the foreign University or Institution is equivalent to Master's Degree in India, such candidate shall be deemed to have acquired the requisite educational qualification."

b. the words, numbers and symbols "For officers in the Legal Stream in Grade 'A' –In addition to the qualification specified for the Legal Stream, two years' post qualification experience as an Advocate (including as an associate in an Advocate's or Solicitor's Office or Law Firm) after being enrolled under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) shall be a desirable qualification." shall be omitted.

c. the words and symbols "Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years' duration) in Economics/ Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics / Mathematical Economics/ Business Economics/ Agricultural Economics/ Industrial Economics/ Business Analytics; or Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years' duration) in Finance/ Quantitative Finance/

Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/ International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years' duration) in Statistics/ Mathematical Statistics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics/ Data Science/ Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics; or Master's Degree in Mathematics and one year post graduate diploma in Statistics or related subjects from a recognized University / Institute.*(Recognized equivalent to a Master's Degree in that discipline by Association of Indian Universities)." shall be substituted with the words, numbers and symbols "Master's Degree or Post Graduate Diploma of minimum two years' duration from a recognized University or Institute in any of the following core disciplines or specializations: Economics/Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics/ Business Economics/Mathematical Economics, Agricultural/Industrial Economics, Public Policy/Business Analytics, Securities Market/Capital Markets; or Finance including Chartered Accountant/ Chartered Financial Analyst/ Company Secretary/ Cost Accountant as recognized from the respective Institutes/Quantitative Finance/ Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/ International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or Statistics/Mathematical Statistics/Applied Statistics/Data Science/Artificial Intelligence/Machine Learning/Big Data Analytics; or Master's Degree in Mathematics (minimum two years' duration) combined with a minimum one-year Post Graduate Diploma in Statistics.

Note: Notwithstanding the criteria mentioned above, in case a candidate possesses a Master's Degree or Post Graduate qualification from a foreign University or Institution and an Equivalence Certificate is issued by the Association of Indian Universities prior to the commencement of the UGC Equivalence Regulations, 2025, or by the University Grants Commission indicating that the Master's Degree or Post Graduate qualification from the foreign University or Institution is equivalent to Master's Degree in India, such candidate shall be deemed to have acquired the requisite educational qualification."

AMIT PRADHAN, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./375/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E) and were last amended on July 11, 2026 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2026 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/311.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.10.10 11:41:59 +05'30'